न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावात, आर.ए.एस.
राजस्व अपील सं0 140/2019

डूंगराराम पुत्र चोलाराम
बनाम
लालाराम पुत्र चोलाराम वगैरा

दिनांक 03.01.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 27/2004 बअनवान लालाराम वगैरा बनाम वेहनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 7.4.04 व इसकी पुष्टि आदेश दिनांक 9.6.05 के उपरांत प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 द्वारा पुनः नेखमबंदी करवाने हेतु सेवानिवृत तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त करने सबंधी आवेदन के क्रम में पारित आदेश दिनांक 18.06.05 के विरुद्ध विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी सं0 1–लालाराम एवं अपीलांट–प्रार्थी सं0 2–डूंगराराम ने संयुक्त रूप से विप्रार्थी गण–रेस्पो0सं0 2 से 6 के विरूद्ध प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील गुड़ामालानी स्थित ग्राम राणासर खुर्द के ख0नं0 28 रकबा 13.16 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.4.04 द्वारा स्वीकार कर, उप तहसीलदार सिणधरी को आदेश क्रमांक 3176–79 दिनांक 7.4.24 द्वारा कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबंदी हेतु आदेशित किया गया। उप तहसीलदार सिणधरी के पत्रांक 299 दिनांक 8.6.04 द्वारा इसकी पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को पुष्टि हेतु प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9.6.04 के अनुसार उक्त अंतरिम नेखमबंदी प्रतिवेदन पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर इसकी पुष्टि की जाकर जरिये पत्रांक 4871 दिनांक 9.6.04 द्वारा उप तहसीलदार सिणधरी को अंतिम नेखमबंदी हेतु आदेशित किया गया। तदउपरांत प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–लालाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व नेखमबंदी पर एतराज जताते हुए, उक्त खसरान की पुनः नेखमबंदी श्री मालाराम सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर, करवाने का आग्रह किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक 842–43 दिनांक 25.2.05 द्वारा उप तहसीलदार सिणधरी को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए प्रार्थी की आपत्ति को ध्यान

में रखते हुए पुनः नेखमबंदी करवाने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी–लालाराम द्वारा पूर्व नेखमबंदी को अस्वीकार करने संबंधी पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.6.05 के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के संशोधित आदेश क्रमांक 4574–80 दिनांक 18.6.05 द्वारा श्री मालाराम सेवानिवृत्त तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर उक्त खसरान की पुनः नेखमबंदी करवाने हेतु आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–लालाराम एवं अपीलांट–प्रार्थी सं0 2–डूंगराराम ने संयुक्त रूप से रेस्पो0सं0 2 से 5–विप्रार्थीगण–वेहनाराम वगैरा के विरूद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम राणासर खुर्द के ख0नं0 28 रकबा 13.16 बीघा भूमि के पास से कटाण मार्ग ख0नं0 118 चलता है, विप्रार्थीगण उसको दबाकर प्रार्थी के ख0नं0 28 में हस्तक्षेप करना चाहते है, इसलिए वह नेखमबंदी करवाना चाहता है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.4.2004 को स्वीकार कर, उप तहसीलदार सिणधरी को नेखमबंदी हेतु आदेश आदेशित किया गया। जिसकी पालना में अंतरिम नेखमबंदी प्रतिवेदन की पुष्टि दिनांक 9.6.2004 को कर दी गई। पुष्टि उपरांत रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–लालाराम के एतराज/आवेदन पर आदेश क्रमांक 4574 दिनांक 18.6.05 द्वारा पुनः नेखमबंदी हेतु सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार श्री मालाराम को कमिश्नर नियुक्त किया गया। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट–प्रार्थी सं0 2 को सूचना एवं सुनवाई कर अवसर नही दिया गया, जबकि वह उक्त खसरान का सह–खातेदार है। जिसमें कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.6.05 को निरस्त फरमाते हुए पूर्व में किए गये नेखमबंदी आदेश दिनांक 7.4.04 एवं उसकी पुष्टि आदेश क्रमांक 9.6.05 को यथावत रखने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1, 5 व 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–लालाराम द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी–लालाराम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनः नेखमबंदी का आवेदन विड्रो करना चाहता है। पूर्व नेखमबंदी का आदेश बहाल रखने में

उसे कोई आपत्ति नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पुनः नेखमबंदी के आदेश को खारिज करते हुए, पूर्व नेखमबंदी आदेश को बहाल कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.4.04 की पालना रिपोर्ट उप तहसीलदार सिणधरी के पत्रांक 299 दिनांक 8.6.04 द्वारा पुष्टि हेतु प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9.6.04 द्वारा उक्त अंतरिम नेखमबंदी प्रतिवेदन पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर इसकी पुष्टि कर, जरिये पत्रांक 4871 दिनांक 9.6.04 द्वारा उप तहसीलदार सिणधरी को अंतिम नेखमबंदी हेतु आदेशित किया गया। तदउपरांत रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–लालाराम द्वारा प्रस्तुत एतराज/आवेदन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक 4574 दिनांक 18.6.05 द्वारा पुनः नेखमबंदी हेतु सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार श्री मालाराम को कमिश्नर नियुक्त किया गया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–लालाराम द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील में उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनः नेखमबंदी का आवेदन विड्रो करना व्यक्त करते हुए पूर्व नेखमबंदी के आदेश में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित संशोधित आदेश क्रमांक 4574–80 आदेश दिनांक 18.6.05 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में पूर्व पारित नेखमबंदी आदेश दिनांक 7.4.04 एवं उसकी पुष्टि क्रमांक 4871 दिनांक 9.6.05 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक 03.01.2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

03.01.25

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर